न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/79
दायरा तिथि : 07.03.2022
आदेश तिथि : 23-6-22

प्रार्थी :–
शांताबेन पत्नि जगदीशसिंह उर्फ जगदीश भाई जाति राजपुरोहित
निवासी मालारी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 23-6-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम मालारी पटवार हल्का, शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 592 रकबा 0.5200 हैक्टर व खसरा नंबर 586 रकबा 1.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मालारी पटवार हल्का, शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 593 रकबा 0.6100 तथा ख्सरा नंबर 594 रकबा 0.6100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1335 दिनांक 11.05.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम मालारी के खसरा 592 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म बारारी अव्वल की खातेदारी श्रीमति केसीबाई पत्नि जावतसिंह पुरोहित हि. 1/8, दरियाबाई पुत्री जावंतसिंह पुरोहित हि. 1/8, भंवरीबाई पुत्री जावतसिंह पुरोहित हि. 1/8 रमेशसिंह पुत्र जावतसिंह पुरोहित हि. 1/8, शान्ताबेन पत्नि जगदीश भाई उर्फ जगदीशसिंह राजपुरोहित हि. 1/8 व खसरा नंबर 586 रकबा 1.95 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि जगदीशसिंह पुत्र जालमसिंह जाति पुरोहित हि. 1/4 शान्ता बेन पत्नि जगदीशसिंह उर्फ जगदीश भाई जाति राजपुरोहित हि. 3/4 के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	593	0.61 हैक्टर	बारानी अव्वल	56X 4= 224 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
2	594	0.61 हैक्टर	बारानी अव्वल	12X 4= 48 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
			योग	272 वर्गमीटर	

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम मालारी की डी.एल.सी. दर 133907/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि आवेदक की सह खातेदारी भूमि ग्राम मालारी के खसरा नंबर 592 रकबा 0.5200 हैक्टर व खसरा नंबर 586 रकबा 1.9500 हैक्टर किस्म किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदित एवं प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिससे प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/79
अनवान शान्ताबेन बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम मालारी पटवार हल्का, शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 592 रकबा 0.52 हैक्टर एवं खसरा नंबर 586 रकबा 1.9500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मालारी पटवार हल्का, शिवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 593 रकबा 0.61 हैक्टर एवं खसरा नंबर 594 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म **बारानी अव्वल मेंसे 272 वर्गमीटर** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 133907/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
593	0.61 हैक्टर	56X 4= 224 वर्गमीटर	13.39	2999 X2=5999	राजकीय सिवायचक भूमि
594	0.61 हैक्टर	12X 4= 48 वर्गमीटर	13.39	643 X2=1286	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **7287/– (अक्षरे सांत हजार दो सौ सतियाची रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 23-6-22

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2143-47
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, शिवतलाव
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक श्रीमति शांताबेन पत्नि जगदीशसिंह उर्फ जगदीश भाई जाति राजपुरोहित निवासी मालारी तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner